

## प्रदेश के सरकारी वाहनों के रखरखाव, मरम्मत व कंडम होने की स्थिति के संबंध में नया शासनादेश जारी

### चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को उत्तराखण्ड के परिवहन सचिव अरवि सहि ह्यांकी ने प्रदेश के सरकारी वाहनों के रखरखाव, मरम्मत व कंडम होने संबंधी पूर्व के सभी शासनादेशों को नष्क्रिय करते हुए नया शासनादेश जारी किया है।

### प्रमुख बट्टि

- वाहनों की मरम्मत व नष्प्रयोज्य घोषित करने को लेकर पूर्व के सभी शासनादेशों को अतकिरमति करते हुए नया शासनादेश जारी किया गया है। इस आधार पर ही मरम्मत व कंडम के नयिम लागू होंगे।
- नये शासनादेश के तहत कोई भी 300 सीसी क्षमता से कम की सरकारी मोटरसाइकलि 10 साल की आयु और एक लाख कमी. चलने पर कंडम मानी जाएगी। सभी चौपहिया सरकारी वाहन 15 साल की आयु पूरी करने के बाद संचालित नहीं हो सकेंगे।
- वाहनों की मरम्मत के लिये परिवहन वभाग की ओर से अधिकृत गैराज या डीलर पर ही जा सकेंगे। जनि वभागों में वाहनों के रखरखाव व मरम्मत के लिये तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है, वहाँ उपलब्ध बजट की सीमा में तकनीकी स्टाफ की संसुतुता के बाद वभागीय कार्यशालाओं में मरम्मत कराई जा सकती है।
- जनि वभागों में तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है, वे परिवहन वभाग के संभागीय नरीक्षक की तकनीकी सफिरशि के बाद परिवहन वभाग से मान्यता प्राप्त या अधिकृत गैराज या डीलर के पास मरम्मत करा सकते हैं। इसके लिये शर्त यह है कि वाहन के खरीद मूल्य का पाँच प्रतिशत से अधिक खर्च संभावित न हो।
- शासनादेश के मुताबकि, ऐसे वाहन, जिनकी आयु पूरी होने वाली हो और उनकी मरम्मत पर खर्च ज़्यादा आ सकता है, उनके लिये भी परिवहन वभाग नरिणय लेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें कंडम घोषित कर दिया जाएगा।
- ये हैं वाहनों के कंडम होने के नयिम:
  - सरकारी वभागों, नगर नगिम, नगर पालिका, पंचायत, राज्य परिवहन उपक्रम या किसी सार्वजनिक उपक्रम के सभी वाहन जिनकी आयु पंजीकरण की तथिसे 15 साल पूरी हो जाएगी, कंडम माने जाएंगे।
  - 300 सीसी से कम इंजन क्षमता के सरकारी दुपहिया वाहन पंजीकरण की तथिसे 10 साल की आयु पूरी करने और एक लाख कमी. (पर्वतीय क्षेत्र में 80 हजार कमी.) चलने पर कंडम कथि जा सकते हैं।
  - 300 सीसी से अधिक क्षमता के सरकारी दुपहिया वाहन 10 साल आयु व 1.25 लाख (पर्वतीय क्षेत्र में एक लाख) कमी. चलने पर कंडम कथि जा सकते हैं।
  - 12 साल की आयु और एक लाख कमी. चलने वाले सरकारी तपिहिया वाहन कंडम कथि जा सकते हैं।
  - 3000 कलोग्राम तक सकल यानभार क्षमता वाले वाहन 13 साल की आयु व 1.50 लाख कमी. पर कंडम हो सकते हैं। 11 साल आयु व दो लाख कमी., नौ साल की आयु व 2.50 लाख कमी., सात साल की आयु व तीन लाख कमी. पर भी कंडम कथि जा सकते हैं।
  - 3000-7000 कलोग्राम भार क्षमता वाले वाहन 12 साल की आयु व 2.25 लाख कमी., 10 साल की आयु व 2.75 लाख कमी. चलने पर कंडम हो सकते हैं।
  - 7500 कलोग्राम से अधिक क्षमता के वाहन 12 साल की आयु व 2.50 लाख कमी., 10 साल की आयु व तीन लाख कमी. के बाद कंडम हो सकते हैं।
  - अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और मरम्मत लायक स्थिति में न हो, तकनीकी खराबी या वाहन संचालन व मरम्मत अधिक खर्चीला होने पर भी उसे संभागीय तकनीकी समिति की सफिरशि पर कंडम कथि जा सकता है। इस समिति में संबंधित संभाग के आरटीओ, उपसंभाग के एआरटीओ, आरआई टेकनिकल शामिल होंगे।

